कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

प्रेस विज्ञप्ति

समय पर हो आवेदन अपलोड कार्य–आयुक्त

0 सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक में तय की गई समय सीमा

लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर अपलोड करने का कार्य सपन्न हो। इसके लिए आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में लोक सुराज के तहत प्राप्त आवेदनों को गुरुवार तक आनलाइन अपलोड करने का समय सीमा तय किया गया।

राज्य शासन के निर्देशानुसार लोक सुराज अभियात का प्रथम चरण संपन्न हो गया है। इसके बाद अब आवेदन अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। निगम कार्यालय व 11 अन्य जगहों की शिविर से करीब 6579 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों को अपलोड करने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने संबंधित अधिकारियों व लोक सुराज में लगे कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान दल व वार्ड वार जानकारी ली गई। इस दौरान कम अपलोड की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने निर्देशित किया। आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि लोक सुराज आम लोगों की समस्या, मांग व शिकायत के तात्काल निराकरण करने प्रदेश शासन की महती अभियान है। लोगों के आवेदन पर तभी त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी जब वह तय समय में आनलाइन साइट पर अपलोड होगा। इसलिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अभियान के तहत आए आवेदनों को अपलोड करने और उसके निराकरण करने संबंधित कार्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बैठक के दौरान वार्ड आवेदनों मांग एवं शिकायत दोनों स्थिति की जानकारी लोक सुराज नोडल अधिकारी श्री प्रवीण शर्मा ने दी। इस दौरान श्री शर्मा ने आवेदन अपलोड की संख्या बढ़ाने सहित आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानने तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी दी। आयुक्त श्री पाण्डेय ने कार्य में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आवेदन अपलोड करने के लिए गुरुवार तक की समय सीमा तय की गई। बैठक में कार्यपालन अभियंता श्री एसके भोजसिया, कार्यालय अधीक्षक श्री आरएन पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

———————————————

सड़क पर न करें होलिका दहन

आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने सड़क पर होलिका दहन न करने शहर के वासियों से अपील की है। आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से डामरीकृत व सीसी सड़कों पर होलिका बनाने व दहन करने संबंधित जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि एसा करने से एक ओर जहां यातायात बाधित होता है, वहीं डामरीकृत व सीसी सड़क दोनों को नुकसान पहुंचता है। सड़कों पर यदि होलिका दहन किया भी जा रहा है तो पहले विधिवत सड़क के उपर होलिका रखे क्षेत्र में मिट्टी की मोटी परत डालने संबंधित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आयुक्त श्री पाण्डेय ने इस संबंध में शहरवासियों से सहयोग की अपील की है।

———————————————————————

पार्किंग वसूली पर चैतन्य नगर प्रबंधक को नोटिस

चैतन्य नगर व्यावसायिक परिसर के प्रबंधक को निगम से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा कि गया है कि सड़क पर लगी भवन में मार्जिनल ओपन स्पेश पर नगर पालिक निगम से बिना अनुमति प्राप्त किए पार्किंग स्थल का संचालन कर बेजा उगाही की जा रही है। इसे सूचना पाकर तत्काल बंद करने के निर्देश दिया गया है अन्य संचालक व प्रबंधक के विरुद्ध नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की विहित धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अवैध वसूली संबंधित कई शिकायत संबंधित संस्थान के विरुद्ध अनुसूचित जाति मोर्चा सहित कई संगठनों ने शिकायत की है।